तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो ... हुक्म की ... में जारी हु...
10.9.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए, जिसे शा-प० किये गये, तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-प० की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 11.9.20 को पेश हो।	
11.9.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा-का. अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 2335 रकबा 08 बिस्वा आराजी नं. 2316 रकबा 12 बिस्वा आराजी नं. 2317 रकबा 03 बिस्वा आराजी नं. 2318 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील मांडल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं. 01 की आराजी 2334 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे पश्चिमी मेड के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट पर अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है अत: :: आदेश ::	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.17 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी ... मांडल

Scanned with CamScanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 2335 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नं. 2316 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नं. 2317 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नं. 2318 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की आराजी नं. 2334 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 12 फीट-चौडाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है, 12 फीट-चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी को भुगतान करे। अप्रार्थी की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। ओर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

11/9/2020

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.17 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner